(2013)1 एस. सी. आर. 267

मैसर्स बैंगलोर क्लब

बनाम

आयकर आयुक्त व अन्य

(सिविल अपील संख्या 124/2007)

जनवरी 14, 2013

(जे.जे. डी.के. जैन एवं जगदीश सिंह खेहर, जे.जे.)

आयकर अधिनियम, 1961:

धारा 2 (24) (vii) - कॉर्पोरेट सदस्य बैंकों के साथ सावधि जमा में निवेश किए गए अधिशेष धन पर निर्धारिती क्लब द्वारा अर्जित ब्याज - पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर दावा किए गए आयकर से छूट - निर्धारित किया गया: निर्धारिती द्वारा सदस्य बैंकों से अर्जित ब्याज की राशि पारस्परिकता सिद्धान्त के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए, निर्धारिती आयकर के लिए पात्र होंगे।

सिद्धान्त - आयकर अधिनियम की धारा धारा 2 (24) (vii) के संदर्भ में पारस्परिकता सिद्धांत - समझाया गया।

निर्धारिती अपीलकर्ता क्लब, एक अनिगमित एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) ने पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर कुछ बैंकों, जो निर्धारिती के कॉर्पोरेट सदस्य थे, में किए गए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर आयकर के भुगतान से छूट की मांग की थी। परस्परता दावे को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन आयकर आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन अधिकारी के दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

करदाता-क्लब द्वारा दायर वर्तमान अपील में न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था: क्या कॉर्पोरेट सदस्य बैंकों के साथ सावधि जमा में निवेश किए गए अधिशेष धन पर निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर आयकर लगाने से मुक्त था या नहीं?

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए निर्धारित किया कि:

1.1 पारस्परिकता का सिद्धान्त इस धारणा से संबंधित है कि कोई व्यक्ति स्वयं से लाभ नहीं कमा सकता है। स्वयं से प्राप्त राशि को आय नहीं माना जाता है और इसलिए, यह कर के अधीन नहीं है। केवल वह आय जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (24) के अधीन है, कर योग्य आय है (पारस्परिकता के सिद्धान्त से जुड़े व्यवसाय से आय को केवल

अधिनियम की धारा 2 (24) के खंड (vii) के अंतर्गत आने वाले विशेष मामलों में छूट से वंचित किया किया जाता है)। पारस्परिकता की अवधारणा को उन लोगों के परिभाषित समूहों तक विस्तारित किया गया है जो एक सामान्य निधि में योगदान करते हैं, जिसे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्ति राशि को केवल सामान्य निधि की वृद्धि कहा जाता है और इस प्रकार इसे न तो आय माना जाता है और न ही कर योग्य माना जाता है। (पैरा 7) (277-एफ-एच; 278-ए)

1.2 पारस्परिकता संगठन का एक रूप नहीं है, भले ही प्रतिभागियों को अक्सर सदस्य कहा जाता है। किसी भी संगठन की आपसी गतिविधियां हो सकती हैं। आम तौर पर पास्परिक संगठनों और विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त क्लबों की एक सामान्य विशेषता यह है कि प्रतिभागियों के पास आम तौर पर आम फंड में अपने हिस्से पर स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है, न ही वे अपना हिस्सा बेच सकते हैं। और जब वे सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो वे अपनी सदस्यता के समर्पण से, वित्तीय लाभ प्राप्त किए बिना भाग लेने का अधिकार खो देते हैं। लाइसेंस प्राप्त क्लबों की एक और विशेषता यह है कि इसमें सदस्यता शुल्क और, जहां क्लब सेवाओं के लिए ली जाने वाली कीमतें उनकी लागत से अधिक होती है, वहां अतिरिक्त योगदान, दोनों शामिल हैं। इस प्रकार की कीमतें और/या अतिरिक्त योगदान ही पारस्परिक आय का गठन करते हैं। (पैरा 7) (278-बी-डी)

1.3 पारस्परिकता का सिद्धान्त सामान्य कानून में अपना मूल पाता है। स्टाइल्स के मामले में, सिद्धान्त को आकर्षित करने के लिए तीन विशेषताएं पायी गई हैं। पहली शर्त के लिए आवश्यक है कि योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान होनी चाहिए; दूसरी विशेषता यह मांग करती है कि प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं के कार्य एसोसिएशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में होने चाहिए। किसी क्लब के मामले में, यह दिखाना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनसे क्लब को और बदले में उसके सदस्यों को लाभ होता है। क्लब का उद्देश्य तथ्य का प्रश्न है और इसे मेमोरेन्डम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सदस्यता के नियमों, संगठन के नियमों आदि से निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि उद्देश्य का अदूरदर्शी अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि कुछ स्थितियों में, लाभ प्रत्यक्ष रूप से अल्पावधि में स्पष्ट हो सकते हैं, अन्य में, वे दीर्घावधि में अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन को प्राप्त हो सकते हैं। संगठन और उसके सदस्यों के बीच इन दोनों प्रकार की बातचीत के लिए जगह बनाई जानी चाहिए। तीसरा, योगदानकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा बनाए गए उस फंड से मुनाफाखोरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिसे केवल स्वयं ही खर्च किया जा सकता है या स्वयं को वापस किया जा सकता है। (पैरा 8, 12, 15 और 19-21) (278-ई; 281-डी-ई; 283-सी, 285-बी-सी-डी-एफ; 286-ए)

आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड 1954 एससीआर 289 = एआईआर 1954 एससी 85; सीआईटी बनाम फिरोजपुर आइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 84 आईटीआर 607; चेम्सफोर्ड क्लब बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली (2000) 3 एससीसी 214; थॉमस बनाम रिचर्ड इवांस एंड कंपनी लिमिटेड (1927) 11 टीसी 790; आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम, कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड एआईआर 1965 एससी 96- संदर्भित

स्टाईल्स (सर्वेयर ऑफ टैक्स) बनाम न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1889 2 टीसी 460; अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम द कॉमिश म्युचुअल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1926 12 टी.सी. 841 (एच.एल.); बोहेमियन्स क्लब बनाम, कार्यवाहक संघीय कराधान आयुक्त (1918) 24 सीएलआर 334; म्युनिसिपल म्युचुअल इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम हिल्स (1932) 16 टीसी 430, 448 (एचएल); कार्लिस्ले और सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम स्मिथ, (1913) 3 के.बी. 75; जोन्स बनाम साउथ-वेस्ट लंकाशायर कोल ओनर्स एसोसिएशन लिमिटेड 1927 एसी 827; द इंग्लिश एंड स्कॉटिश ज्वाइंट को-ऑपरेटिव होलसेल सोसायटी लिमिटेड बनाम कृषि आयुक्त आयकर, असम एआईआर 1948 पीसी 142 (ई); स्थानीय सरकारी अधिकारियों का राष्ट्रीय संघ बनाम वाटकिंस (1934) 18 टीसी 499; 503, 506; आयकर आयुक्त, बिहार बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड (1997) 5 एससीसी 394 - संदर्भित।

हैल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, साइमन टैक्स, वॉल्यूम बी. तीसरा संस्करण, कांगा और पालकीवाला ''द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स'' पर (8 वां संस्करण, खंड 1, 1990); ब्रिटिश टैक्स इनसाइक्लोपीडिया(1), 1962 संस्करण। (जी.एस.ए. व्हीटक्रॉफ्ट द्वारा संपादित) पृष्ठ 1201 – संदर्भित

1.4 मौजूदा मामले में, निर्धारिती-क्लब एक एओपी है। संबंधित बैंक, क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य हैं। गैर-सदस्य बैंकों में रखी गई सावधि जमाओं से अर्जित ब्याज को कराधान के लिए पेश किया गया और देय कर का भुगतान किया गया। जहां तक सदस्य बैंकों में रखी गयी सावधि जमा पर निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज का संबंध है, सबसे पहले, व्यवस्था में योगदानकर्ता और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान का अभाव है। अधिशेष निधियों के सृजन के चरण तक, सेटअप पारस्परिकता जैसा था; धन का प्रवाह, इधर-उधर, बैंकों और क्लब द्वारा बनाए गए बंद सर्किट के भीतर बनाए रखा गया था, और इस हद तक, कोई भी व्यक्ति जो इस पारस्परिकता से अवगत नहीं था, उसे इस व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ। हालांकि, जैसे ही इन फंडों को बैंकों के पास सावधि जमा में रखा, वाणिज्यिक बैंकिग परिचालन के संपर्क के कारण बैंकों और क्लब के बीच धन के बंद प्रवाह में विक्षेप हो गया। अपने बैंकिंग व्यवसाय के दौरान, सदस्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए ऐसी जमा राशि का उपयोग किया। इसलिए, मौजूदा मामले में, म्युचुअलिटी के फंड के संबंध

में, सदस्य-बैंक म्युचुअलिटी के बाहर तीसरे पक्ष के साथ वाणिज्यिक परिचालन में लगे हुए हैं, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है और परिणामस्वरूप, पहली शर्त के अनुसार योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक से एक पहचान का उल्लंघन हो रहा है। इस प्रकार, मौजूदा मामले में, पारस्परिकता के दावे की पहली शर्त पूरी नहीं होती है। (पैरा 25-26) (289-सी-एच)

1.5. द्वितीय, अधिशेष निधि का उपयोग क्लब के सदस्यों के लिए किसी विषिष्ट सेवा, बुनियादी ढांचे, रखरखाव या किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ के लिए नहीं किया गया था। इन्हें पारस्परिकता से बाहर कर दिया गया जब सदस्य-बैंकों ने इन्हें तीसरे पक्ष के नियंत्रण व अधिकार में डाल दिया, इस प्रकार, बैंक व बैंक के ग्राहकों जो एक तीसरा पक्ष है तथा पारस्परिकता से अवगत नहीं है, के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध शुरू हुआ। इस अनुबंध में क्लब और उसके सदस्य के बीच निकटता की कमी थी, जिससे क्लब को दूर और अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ हो सकता है, फिर भी इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्लब की गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस बात पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है कि दूसरी शर्त क्लब के कामकाज के लिए प्रत्यक्ष लाभ के प्रत्यक्ष कदम है, जिसका उल्लंघन किया गया है। (पैरा 27) (290-बी-डी)

1.6. तीसरा, हालांकि फंड क्लब में वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले,उन्हें गैर-सदस्यों यानी बैंक के ग्राहकों पर खर्च किया जाता है। बैंक

क्लब-करदाता को कम ब्याज दर का भुगतान करके राजस्व उत्पन्न करते हैं, जो उनके पास जमा रहता है, और फिर जमा राश को तीसरे पक्ष को उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है। व्यावसायिक कारणों से बैंकों द्वारा क्लब के फंड से बाहरी लोगों को ऋण देना पारस्परिकता की कड़ी को तोड़ देता और इस प्रकार, तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि बैंकों ने क्लब से आए फंड के लिए अलग और विशेष प्रावधान किये हों, या कि उन्होंने उन्हें ऋण नहीं दिया हो। इसलिए, स्पष्ट रूप से, क्लब ने वह व्यवहार नहीं दिया, या प्राप्त नहीं किया जो एक क्लब को अपने सदस्यों से मिलता है; उनके बीच का संव्यवहार स्पष्ट रूप से एक बैंक और उसके ग्राहक के बीच के संव्यवहार को दर्शाता है। यह सीधे तौर पर तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है। यदि शेयरधारकों को शेयरधारकों के रूप में लाभ वितरित किया जाता है तो पारस्परिकता का सिद्धांत संतुष्ट नहीं होता है। (पैरा 28-29) (290-एच-एफ; 291-ए-सी)

स्टाईल्स (सर्वेयर ऑफ टैक्स) बनाम न्यूयॉर्क लाइफ इंष्योरेंस कंपनी 1889 2 टीसी 460, आयकर आयुक्त, मद्रास बी बनाम कुंभकोणम म्युचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड एआईआर 1965 एससी 96; थॉमस बनाम रिचर्ड इवांस एंड कंपनी लिमिटेड (1927) 11 टीसी 790 - पैरा 29 - संदर्भित।

1.7. इस प्रकार, बैंक में खाताधारक द्वारा जमा की गई किसी अन्य जमा राशि की तरह क्लब द्वारा जमा किए गए अधिषेश पर ब्याज अर्जित होता है। यहां तक कि निर्धारिती द्वारा सदस्य बैंकों में जमा करायी गयी

अधिषेश निधि पर अर्जित ब्याज में भी व्यावसायिकता का दाग था, जो पारस्परिकता के सिद्धांत के लिए घातक था। (पैरा 29 डी और 31) (292-बी; 293-बी)

कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मद्रास बनाम कुंभकोणम म्युचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड, एआईआर 1965 एससी 96 - संदर्भित

1.8. इसके अलावा, अधिशेष राशि बैंक में जमा होने से पूर्व से ही निर्धारिती पारस्परिकता के सिद्वान्त का लाभ, अधिशेष राशि जो अंशदान या सदस्यों को मिली सुविधा के लाभ की कीमत के तौर पर प्राप्त हो रही है, के संबंध में उठा रहा है, इस अधिशेष राशि को आय नहीं माना गया क्योंकि यह उस संग्रहित राशि का अवशेष था जो क्लब के पास छोड़ दी गयी थी। वाणिज्यिक संव्यवहार पर कर उत्तरदायित्व से बचने के लिए क्लब का मुखौटा नहीं लगाया जा सकता तथा पारस्परिकता के दोहरे लाभ का दावा करने हेतु ऐसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती। (पैरा 32) (293-सी-ई) आयकर आयुक्त, बिहार बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड (1997) 5 एससीसी 394 - संदर्भित

1.9. चार बैंकों से निर्धारिती क्लब द्वारा अर्जित ब्याज की राश पारस्परिकता सिद्धांत के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए, इसके लिए आयकर हेतु उत्तरदायी होगी। (पैरा 33) (294-डी)

उद्धृत न्यायिक दृष्टांत

1889 2 टीसी 460	उद्धृत	पैरा 8, 29
1926 12 टी.सी. 841 (एच.एल.)	उद्धृत	पैरा 9
(1918) 24 सीएलआर 334	उद्धृत	पैरा 10
1954 एससीआर 289	उद्धृत	पैरा 11
(1932) 16 टीसी 430,448(एचएल)	उद्धृत	पैरा 12
1927 एसी 827	उद्धृत	पैरा 17
(1934) 18 टीसी 499;503,506	उद्धृत	पैरा 20
(1997) 5 एससीसी 394	उद्धृत	पैरा 20
(1927) 11 टीसी 790	उद्धृत	पैरा 32
(1927) 11 टीसी 790	उद्धृत	पैरा 21
(1927) 11 टीसी 790	उद्धृत	पैरा 29
एआईआर 1965 एससी 96	उद्धृत	पैरा 22
एआईआर 1965 एससी 96	उद्धृत	पैरा 29
एआईआर 1965 एससी 96	उद्धृत	पैरा 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 124/2007

कर्नाटका उच्च न्यायालय (बैंगलोर) निर्णय व आदेश आई.टी.ए. नंबर 70/2000 दिनांक 21.07.2006 से उत्पन्न।

तथा

सिविल अपील नंबर 125/2007, 272, 273, 274, 275, 276-77 एवं 278/2013

जोसेफ वेलापल्ली, दयान कृष्णन, गौतम नारायणा (निखिल नय्यर की ओर से), अस्मिता सिंह, शिवेन्द्र सिंह (अपीलार्थीगण की ओर से)

ए.एस. चंडीओक, एएसजी, गुरप्रीत एस. परवान्दा, मोनिका त्यागी, रीना सिंह, यतिन्दर चौधरी, आर. नेडुमारन, अनिल कटियार (प्रत्यर्थीगण की ओर से)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

डी.के. जैन, न्यायाधिपति. 1. विशेष अनुमति याचिकाएं स्वीकृत की गयी।

2. अपीलों का यह समूह आयकर अपील संख्या 115/1999 के साथ 70/2000, 3095/2005, 1547/2005, 1548/2005, 3091/2005, 3089/2005, 3093/2005 तथा 3088/2005 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक सामान्य निर्णय द्वारा आदेश से उत्पन्न

हुआ है। चूँकि ये अपीलें एक ही मुद्दे पर आधारित हैंए इसलिए उनका निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

3. अपील में शामिल विवाद का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आवश्यक तथ्य इस प्रकार से हैं:

बैंगलोर क्लब (इसके बाद ''निर्धारिती'' के रूप में संदर्भित), वर्तमान अपीलकर्ता, एक अनिगमित एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, (एओपी) है। मूल्यांकन वर्ष 1989-90, 1990-91, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के संबंध में, निर्धारिती ने पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, कुछ बैंकों, जो निर्धारिती के कॉर्पोरेट सदस्य थे, के पास रखी गई सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर आयकर भुगतान से छूट की मांग की। हालाँकि, गैर-सदस्य बैंकों में रखी गई सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान किया गया था।

मूल्यांकन अधिकारी ने करदाता के दावे को यह मानते हुए खारिज कर दिया, कि फंड में अंशदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पहचान का अभाव है, और इसलिए इसके द्वारा ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को कर योग्य व्यावसायिक आय माना गया। निर्धारिती द्वारा अपील पर, आयकर आयुक्त (अपील)-II, बैंगलोर (संक्षेप में ''सीआईटी (ए)'') ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उलट दिया, और माना कि पारस्परिकता का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्धारिती के मामले पर लागू होता

है। - राजस्व द्वारा अपील पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में ''न्यायाधिकरण'') ने सीआईटी (ए) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की, (आईटीए संख्या 2440 /प्रतिबंध/1991):

> "7. मौजूदा मामले में, क्लब के फंड, कॉर्पोरेट सदस्यों अर्थात् बैंकों से आय अर्जित करने के लिए जमा के रूप में दिए गये हैं और इसलिए, ब्याज की कमाई स्पष्ट रूप से पारस्परिकता की अवधारणा से ही बढ़ी है। डीआर द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया उनमें कहीं भी इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि यह कॉरपोरेट सदस्यों के साथ था या नहीं। जाहिर तौर पर, वे उस स्थिति की चर्चा कर रहे थे जहां ब्याज का लेन-देन ऐसे व्यक्तियों से होता है जो क्लब के सदस्य नहीं हैं। बहस के दौरान, डीआर ने स्वीकार किया था कि निर्धारिती ने कुछ अन्य बैंकों से ब्याज को अपनी आय के रूप में दिखाया था, जो यह भी दर्शाता है कि जहां भी पारस्परिकता की अवधारणा अनुपस्थित थी, निर्धारिती ने उसे आय के रूप में पेश किया था।"

आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में ''अधिनियम'') की धारा 260 ए के तहत आयकर आयुक्त, बैंगलोर के एक आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया और इसके निर्णय के लिए कानून के निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए:-

"(1) क्या, निर्धारिती द्वारा चार बैंकों (जो निर्धारिती क्लब के सदस्य हैं) में की गई सावधि जमा से ब्याज के रूप में प्राप्त 7,87,648/- रुपये, उसकी आय थी और आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक राजस्व प्राप्ति थी ।

(2) क्या, पारस्परिकता के सिद्धांत को चार बैंकों में जमा किए गए फंड पर लागू किया जा सकता है, जो निर्धारिती क्लब के सदस्य भी हैं, खासकर जब फंड चार बैंकों सहित कई सदस्यों के योगदान और उससे प्राप्त ब्याज से जुटाया गया हो तथा प्राप्त ब्याज निर्धारिती क्लब के कई सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है?"

राजस्व के पक्ष में दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा:-

"12. इस मामले के तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों के आलोक में यह हमारे लिए स्पष्ट है कि क्लब द्वारा जो कार्य किया गया है वह कुछ और नही बल्कि एक बैंक के ग्राहक द्वारा किया जाने वाला कार्य ही है। 'कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ व्यापार नहीं कर सकता का सिद्धांत अपने ग्राहक की ओर से सावधि जमा रखने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक के संबंध में उपलब्ध नहीं है। यह रिश्ता एक बैंकर और एक ग्राहक का है।"

नतीजतन, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया और मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया। इसलिए, निर्धारिती द्वारा यह अपील की गयी।

4. इस प्रकार, निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कॉर्पोरेट सदस्य बैंकों में सावधि जमा में निवेश किए गए अधिशेष धन पर निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर आयकर लगाने से मुक्त है या नहीं?

5. निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जोसेफ वेल्लापल्ली ने दृढ़तापूर्वक तर्क रखा कि द इंग्लिश एंड स्कॉटिश ज्वाइंट को-ऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड बनाम कृषि आयकर आयुक्त, असम[1], जिसकी पुष्टि चेम्सफोर्ड क्लब बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली[2], के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गयी थी, के अनुसार पारस्परिकता के सिद्वान्त के दायरे में आने के लिए निर्धारिती सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विद्वान वकील के अनुसार, फंड में अंशदानकर्ताओं और निर्धारिती और फंड से प्राप्तकर्ताओं के बीच एक पूर्ण पहचान है, क्योंकि सदस्य बैंकों के साथ सावधि जमा में निवेश किए गए अधिशेष फंड से निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज हमेशा उपलब्ध होता है तथा सदस्यों के लाभ के लिए समान रूप से उपयोग किया जाता है। यह दावा किया गया था कि संबंधित बैंकों सहित अपने सदस्यों के साथ निर्धारिती के लेनदेन में कोई व्यावसायिक उद्देश्य शामिल नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि सदस्य बैंकों के पास

ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज हमेशा निर्धारिती के सदस्यों के उपयोग और लाभ के लिए उपलब्ध था, जैसे कि उक्त ब्याज क्लब के आम फंड में विलय हो गया।

6. दूसरी ओर, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एएस चांडियोक ने तर्क दिया कि पारस्परिकता के सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल सिद्धांत योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक पूर्ण पहचान है, जो इस मामले में गायब है। यह निवेदन किया गया था कि वर्तमान मामले में, निर्धारिती के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि कॉर्पोरेट सदस्यों/बैंक के नियंत्रण व अधिकार में ब्याज अर्जित करने के एकमात्र उद्देश्य से रखी गयी थी, जो व्यावसायिकता तत्व लाता है और इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज को राजस्व प्राप्ति के रूप में माना जाना चाहिए, जिस पर कर लगाया जा सकता है। यह दलील दी गई थी कि निर्धारिती और संबंधित सदस्य बैंकों के बीच लेनदेन एक कॉर्पोरेट सदस्य के साथ निर्धारिती द्वारा धन की पार्किंग की प्रकृति में था और यह कुछ और नहीं बल्कि एक बैंक के ग्राहक द्वारा किया जा सकता था और इसलिए, यह सिद्धांत कि '' कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ व्यापार नहीं कर सकता'' लागू नहीं है।

7. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी रुखों का मूल्यांकन करें, पारस्परिकता के सिद्धांत की सामान्य समझ की व्याख्या करना आवश्यक होगा। यह सिद्धांत इस धारणा से संबंधित है कि कोई व्यक्ति स्वयं से लाभ

नहीं कमा सकता है। स्वयं से प्राप्त राशि को आय नहीं माना जाता है और इसलिए यह कर के अधीन नहीं है। केवल वह आय जो अधिनियम की धारा 2(24) की परिभाषा के अंतर्गत आती है, कर के अधीन है (पारस्परिकता के सिद्धांत से जुड़े व्यवसाय से होने वाली आय को केवल धारा 2(24) के खंड(vii) के अंतर्गत आने वाले विशेष मामलों में छूट से वंचित किया जाता है)। पारस्परिकता की अवधारणा को उन लोगों के परिभाषित समूहों तक विस्तारित किया गया है जो लाभ के लिए समूह द्वारा नियंत्रित एक सामान्य निधि में योगदान करते हैं। उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त राशि को केवल निधि की वृद्धि कहा जाता है और इस प्रकार इसे न तो आय माना जाता है और न ही कर योग्य माना जाता है। समय के साथ, जिन समूहों को पारस्परिक आय वाला माना गया है उनमें कॉर्पोरेट निकाय, क्लब, मैत्रीपूर्ण समाज, क्रेडिट यूनियन, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, बीमा कंपनियां और वित्त संगठन शामिल हैं। पारस्परिकता संगठन का एक रूप नहीं है, भले ही प्रतिभागियों को अक्सर सदस्य कहा जाता है। किसी भी संगठन की आपसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। आम तौर पर पारस्परिक संगठनों और विशेष रूप से लाइसेंस प्राप्त क्लबों की एक सामान्य विशेषता यह है कि प्रतिभागियों के पास आम तौर पर आम फंड में अपने हिस्से पर संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, न ही वे अपना हिस्सा बेच सकते हैं। और जब वे सदस्य नहीं रहते हैं, तो वे अपनी सदस्यता के समर्पण से वित्तीय लाभ प्राप्त किए बिना भाग लेने का

अधिकार खो देते हैं। लाइसेंस प्राप्त क्लबों की एक और विशेषता यह है कि इसमें सदस्यता शुल्क और, जहां क्लब सेवाओं के लिए ली जाने वाली कीमतें उनकी लागत से अधिक हैं, अतिरिक्त योगदान दोनों सम्मिलित हैं। इस प्रकार की कीमतें और/या अतिरिक्त योगदान ही पारस्परिक आय का गठन करते हैं।

8. पारस्परिकता का सिद्धांत सामान्य कानून में अपना मूल पाता है। पारस्परिकता सिद्धांत के सबसे पुराने आधुनिक न्यायिक बयानों में से एक लॉर्ड वॉटसन द्वारा 1889 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्टाइल्स (सर्वेयर ऑफ टैक्सेज) बनाम न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी[3] (इसके बाद इसे ''स्टाइल्स केस'' कहा जाएगा) में दिया गया है। उस मामले में अपीलकर्ता एक निगमित कंपनी थी। कंपनी ने दो प्रकार की जीवन पॉलिसियाँ जारी कीं, भाग लेने वाली और गैर-भाग लेने वाली। पारस्परिक जीवन बीमा कंपनी के सदस्य भाग लेने वाली पॉलिसियों के धारकों तक ही सीमित थे, और प्रत्येक वर्ष, खर्चों और अनुमानित देनदारियों पर प्राप्तियों का अधिशेष उनके बीच या तो भविष्य के प्रीमियम में कमी के रूप में या प्रत्यावर्ती के रूप में विभाजित किया गया था, सामान्य अर्थ में कोई शेयर या शेयरधारक नहीं थे, लेकिन भाग लेने वाली पॉलिसी का प्रत्येक धारक वास्तव में कंपनी का सदस्य बन गया और इस तरह परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी का हकदार बन गया और घाटे में हिस्सेदारी के लिए उत्तरदायी हो गया। कंपनी ने सदस्यों के बीच संभावित मृत्यु दर और संभावित खर्चों और देनदारियों की गणना

की, तदनुसार सदस्यों से प्रीमियम के रूप में मांगी गईं। वार्षिक लेखा-जोखा लिया जाता था और ऐसी पॉलिसियों के संदर्भ में किए गए व्यय पर ऐसे प्रीमियमों के अधिशेष का बड़ा हिस्सा सदस्यों यानी; भागीदारी पॉलिसियों के धारकों को वापस कर दिया जाता था और शेष राशि को एक निधि के रूप में सदस्यों की सामान्य सभा को सौंप दिया जाता था। सवाल यह था कि क्या सदस्यों को लौटाया गया अधिशेष, आय या लाभ के रूप में आयकर के लिए मूल्यांकन योग्य था। अधिकांश लॉ लॉर्ड्स ने प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। उस मामले में सदस्यों ने आपसी आश्वासन के सिद्धांत पर एक.दूसरे के जीवन का बीमा करने के उद्देश्य से खुद को एक साथ जोड़ लिया था, यानी, वे सालाना एक सामान्य निधि में योगदान करते थे जिसमें से मृत्यु की स्थिति में मृत सदस्यों के प्रतिनिधियों को भुगतान किया जाना था। वे व्यक्ति अकेले ही सामान्य निधि के स्वामी थे और वे ही अधिशेष में भाग लेने के हकदार थे। यह अधिशेष आंशिक रूप से गैर.भागीदारी नीतियों और अन्य व्यवसाय से उत्पन्न लाभ से प्राप्त किया गया था। यह माना गया कि अधिशेष का वह हिस्सा जो भाग लेने वाली पॉलिसियों के धारकों के अतिरिक्त योगदान से उत्पन्न हुआ था, मूल्यांकन योग्य लाभ नहीं था। इसलिए, इसे आपसी आश्वासन का मामला माना गया। बीमाकृत व्यक्ति और अपने लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़े लोग तथा जो पॉलिसियों के तहत अन्य निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे, समान थे। यह माना गया कि कंपनी के निगमन से वह

पहचान नष्ट नहीं हुई। लॉर्ड वॉटसन ने यहां तक कहा कि उस मामले में कंपनी ने कोई भी व्यवसाय नहीं किया था, जो शायद स्थिति को कुछ ज्यादा ही व्यापक रूप से बता रहा था जैसा कि बाद के मामले में विस्काउंट केव ने बताया था। लेकिन, जैसा भी हो, सभी कुलीन लॉर्ड्स जो बहुमत में थे, का विचार था कि सदस्यों को जो प्राप्त हुआ वह लाभ नहीं था बल्कि उनके स्वयं द्वारा योगदान की गई अतिरिक्त राशि के उनके संबंधित हिस्से थे। उन्होंने इस प्रकार कहा:-

> "...जब कई व्यक्ति किसी समान उद्देश्य के लिए धन का योगदान करने के लिए सहमत होते हैं.... और शर्त लगाते हैं कि उनका योगदान, जहां तक उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्हें व्यापारियों के रूप में क्यों माना जाना चाहिए, या उन्हें लौटाए गए योगदान को लाभ के रूप में क्यों माना जाना चाहिए।"

9. लॉर्ड वॉटसन के कथन को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कमिशनरस् आफॅ इनलैंड रेवेन्यू बनाम कोर्निश म्युचुअल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[4], में समझाया गया था। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यवसाय को चलाना या अपने सदस्यों के साथ व्यापार करना एक पारस्परिक संबंध का विषय हो सकता है, हालांकि ऐसे व्यापार से उत्पन्न अधिशेष कर योग्य आय या लाभ नहीं है।

10. ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने सबसे पहले द बोहेमियन्स क्लब बनाम दि एक्टिंग फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन[5] 1918 में पारस्परिकता सिद्धांत पर विचार किया:

> "एक आदमी अपनी आय का स्रोत नहीं है... एक आदमी की आय में उसके बाहर के स्रोतों से प्राप्त धन शामिल होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में व्यय के लिए या अन्यथा अपने स्वयं के लाभ के लिए किए गए योगदान को उसकी आय नहीं माना जा सकता है ... योगदान, संक्षेप में, एक सामान्य उद्देश्य के लिए पूंजी की अग्रिम राशि है, जिसके वर्ष के दौरान समाप्त होने की उम्मीद है जिसका उन्हें भुगतान किया जाता है, वे सदस्यों के सामूहिक निकाय की आय नहीं हैं, किसी कंपनी के सदस्यों द्वारा उनके शेयरों पर भुगतान की गई कॉल कंपनी की आय हैं। यदि कोई राशि बिना ख़र्च किए छोड़ दी जाती है तो वह आय या मुनाफ़ा नहीं है, बल्कि बचत है, जिसके बाबत् सदस्य यह दावा कर सकते हैं कि यह उन्हें वापस कर दिया जावे।"

11. पहले भारतीय मामलों में से एक जिसमें इस सिद्धान्त पर विचार किया गया आयकर आयुक्त बॉम्बे सिटी बनाम रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड[6] था। जिसमें द इंग्लिश एंड स्कॉटिश ज्वाइंट को-ऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित तीन शर्तों को

मंजूरी के साथ उद्धृत किया, जो स्टाइल्स केस (सुप्रा) में विभिन्न लॉ लॉर्ड्स के भाषणों के विभिन्न अंशों का हवाला देने के बाद प्रतिपादित किए गए थे। लॉर्ड नॉर्मैंड, जिन्होंने बोर्ड का निर्णय सुनाया, ने स्टाइल्स मामले (सुप्रा) में निर्णय के आधारों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

> "इन उद्धरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि छूट (1) फंड में योगदानकर्ताओं और फंड से प्राप्तकर्ताओं की पहचान पर आधारित थी; (2) कंपनी का व्यवहार, भले ही वह निगमित हो, सदस्यों और पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए मात्र एक इकाई के रूप में था, दूसरे शब्दों में, उनके आदेश का पालन करने वाले एक साधन के रूप में; और; (3) यह असंभवता कि योगदानकर्ताओं को स्वयं द्वारा एक ऐसे फंड में किए गए योगदान से लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या उन्हें वापस लौटाया जा सकता है।"

12. मामले के तथ्यों पर आगे बढ़ने से पहले हम इनमें से प्रत्येक शर्त पर विस्तार से विचार करेंगे। पहली शर्त यह है कि योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान होनी चाहिए। इसे सबसे पहले लॉर्ड मैकमिलन ने म्युनिसिपल म्यूचुअल इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम हिल्स[7] में निर्धारित किया था:

"मुख्य आवश्यकता यह है कि सामान्य निधि के सभी योगदानकर्ता अधिशेष में भाग लेने के हकदार होने चाहिए और अधिशेष में सभी भागीदार सामान्य निधि में योगदान कर्ता होने चाहिए, दूसरे शब्दों में, योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान होनी चाहिए।"

13. सिद्वान्त के इस पहलू पर, विशेष रूप से गैर.सदस्यों के संबंध में, हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, पुनः जारी, वॉल्यूम 23, पैरा 161 और 162 (पीपी. 130 और 132) के अनुसारः

"जहां व्यापार या गतिविधि पारस्परिक है, यह तथ्य कि, कुछ गतिविधियों के संबंध में, एसोसिएशन के केवल कुछ सदस्य ही उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो वह प्रदान करता है, उद्यम की पारस्परिकता को प्रभावित नहीं करता है।

सदस्यों के क्लब आपसी दायित्व/वचन का एक उदाहरण हैं; लेकिन, जहां एक क्लब गैर-सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करता है, उस हद तक पारस्परिकता के तत्व की आवश्यकता होती है.. ."

14. साइमनस टैक्सेज, वॉल्यूम. बी, तीसरा संस्करण, पैरा बी1.218 और बी1. 222 (पीपी. 159 तथा 167) पर इस संबंध में विधि स्पष्ट की:

"..यह स्थापित कानून है कि यदि व्यापार करने वाले व्यक्ति इस तरह से ऐसा करते हैं कि वे और ग्राहक एक ही व्यक्ति हैं, तो कर उद्देश्यों के लिए व्यापार से कोई लाभ या प्राप्ति नहीं होती है और इसलिए इसके संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। व्यापार के इस रूप से उत्पन्न कोई भी अधिशेष केवल उस सीमा का प्रतिनिधित्व करता है जिस हद तक प्रतिभागियों का योगदान आवश्यकताओं से अधिक साबित हुआ है। इस तरह के अधिशेष को उनका अपना धन माना जाता है और उन्हें वापस किया जा सकता है। पारस्परिकता के इस छूटकारी तत्व के अस्तित्व में रहने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ किसी समय और किसी न किसी रूप में उन व्यक्तियों को वापस आने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें सामान बेचा गया था या सेवाएँ प्रदान की गई थीं।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक कंपनी (जो प्रोपराईटरी नहीं है) जो सदस्यों के क्लब का संचालन करती है, कंपनी और क्लब के सदस्य समान होते हुए भी, निगम के लाभ हेतु कर के प्रयोजन के लिए कोई व्यापार या व्यवसाय या समान चरित्र का उपक्रम नहीं कर रही थी।

हालांकि, सदस्यों का क्लब गैर.सदस्यों को अपनी सुविधाएं प्रदान करने से प्राप्त लाभ के संबंध में मूल्यांकन योग्य है। इस प्रकार, कार्लिस्ले और सिलोथ गोल्फ क्लब बनाम स्मिथ, (1993) केबी 75 में, जहां एक सदस्यों के गोल्फ क्लब ने गैर-सदस्यों को ग्रीन फीस के भुगतान पर खेलने की अनुमति दी, यह माना गया कि वह एक ऐसा व्यवसाय कर रहा था जिसे परिभाषित व अलग किया जा सकता था। और जिसका लाभ आयकर के लिए निर्धारण योग्य था। लेकिन उन लाभों के संबंध में कोई दायित्व नहीं है जो सदस्यों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्यों से प्राप्त किये गये हैं।''

(जोर दिया गया)

15. संक्षेप में, प्रतिभागियों के वर्ग और योगदानकर्ताओं के वर्ग के बीच पूर्ण पहचान होनी चाहिए। वह विशेष लेबल या रूप जिसके द्वारा पारस्परिक जुड़ाव ज्ञात होता है, का कोई महत्व नहीं है। कांगा और पालकीवाला ने इस अवधारणा को "द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स (8 वां संस्करण, खंड I, 1990) पृष्ठ 113 पर समझाया है जो इस प्रकार है:

"...सामान्य निधि में योगदानकर्ता और अधिशेष में भाग लेने वाले एक समान निकाय होने चाहिए। इसका मतलब

यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को सामान्य निधि में योगदान करना चाहिए या प्रत्येक सदस्य को अधिशेष में भाग लेना चाहिए या अधिशेष से वही वापस लेना चाहिए जो उसने भुगतान किया है। मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल उच्च न्यायालयों ने माना है कि पारस्परिकता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य निधि में योगदानकर्ता स्वेच्छा से अधिशेष को आपस में वितरित करें: यह पर्याप्त है यदि उनके पास अधिशेष पर निपटान का अधिकार है, एवं उस अधिकार के प्रयोग में वे इस तथ्य पर सहमत हो सकते हैं कि समाप्ति की दशा में उक्त अधिशेष को समान एसोसिएशन को हस्तांतरित कर दिया जावे या किन्हीं दानार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए...''

(जोर दिया गया)

16. ब्रिटिश टैक्स इनसाइक्लोपीडिया (1), 1962 संस्करण (जीएसए व्हीटक्रॉफ्ट द्वारा संपादित) पृष्ठ 1201 पर, ''पारस्परिक व्यापारिक परिचालन'' से संबंधित, कानून इस प्रकार बताया गया हैः

"इस सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य निधि के सभी योगदानकर्ता अधिशेष में भाग लेने के हकदार हों और अधिशेष में सभी भागीदार योगदानकर्ता

हों, ताकि योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान हो। इसका मतलब एक वर्ग के रूप में पहचान है, ताकि किसी भी समय योगदान देने वाले व्यक्ति भाग लेने के हकदार व्यक्तियों के समान हों; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योजना से बाहर जाने वाले व्यक्तियों द्वारा वर्ग कम किया जा सकता है या अन्य लोगों के आने से बढ़ाया जा सकता है...."

(जोर दिया गया)

17. जोन्स बनाम साउथ.वेस्ट लंकाशायर कोल ओनर्स एसोसिएशन लिमिटेड[8], में विस्काउंट केव एलसी ने माना कि "प्राप्तियां पॉलिसी धारकों को एक वर्ग के रूप में वापस जानी चाहिए", हालांकि वापसी उसी अनुपात में होना जिसमें उन्होंने योगदान दिया है, आवश्यक नहीं है तथा एसोसिएशन वास्तविक अर्थ में उनके योगदान से कोई लाभ नहीं कमाता है।

18. इसलिए, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, चूंकि क्लब ने एक ही व्यवसाय के दौरान प्रदान की गई समान सेवाओं के बदले सदस्यों और गैर.सदस्यों दोनों से धन प्राप्त किया, इसलिए पारस्परिकता की छूट प्रदान नहीं जा सकी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"जैसा कि पहले ही कहा गया है, मौजूदा मामले में सदस्यों के बीच आपस में कोई आपसी व्यवहार नहीं है और योगदानकर्ताओं द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए एक.दूसरे के प्रति किए गए सामान्य दायित्वों के निर्वहन के लिए कोई सामान्य निधि नहीं बनाई गई है। इसके विपरीत, हमारे यहां एक निगमित कंपनी है जो एक रेस कोर्स कंपनी और लाइसेंस प्राप्त विजेताओं और जलपान विक्रेताओं का सामान्य व्यवसाय चलाने के लिए अधिकृत है और वास्तव में ऐसा व्यवसाय चला रही है। <u>इसमें कोई विवाद नहीं है कि गैर-सदस्यों के साथ कंपनी का लेन-देन किसी भी अन्य व्यावसायिक संस्था की तरह लाभ कमाने की दृष्टि से किए जाने वाला होता है।</u>

(जोर दिया गया)

19. दूसरी विशेषता यह है कि प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं के कार्य एसोसिएशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में होने चाहिए। किसी क्लब के मामले में, यह दिखाना आवश्यक होगा कि उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनसे क्लब को लाभ होता है, और बदले में उसके सदस्यों को। इसलिए, चेम्सफोर्ड क्लब (सुप्रा) में, चूंकि अपीलकर्ता ने अपने सदस्यों और उनके मेहमानों को "नो.प्रॉफिट-नो-लॉस" आधार पर विशेष रूप से मनोरंजक सुविधाएं प्रदान कीं और अधिशेष, यदि कोई हो,

का उपयोग केवल क्लब के रखरखाव और विकास के लिए किया गया था, न्यायालय ने पारस्परिकता के अपवाद की अनुमति दी।

20. क्लब का उद्देश्य तथ्य का प्रश्न है और इसे मेमोरेंडम या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सदस्यता के नियमों, संगठन के नियमों आदि से निर्धारित किया जा सकता है। हालाँकि, अधिदेश का अदूरदर्शी अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि कुछ स्थितियों में, लाभ प्रत्यक्ष रूप से अल्पावधि में स्पष्ट हो सकते हैं, व कुछ स्थितियों में दीर्घावधि में अप्रत्यक्ष रूप से किसी संगठन को प्राप्त हो सकते हैं। संगठन और उसके सदस्यों के बीच इन दोनों प्रकार की बातचीत के लिए जगह बनाई जानी चाहिए। इसलिए, जैसा कि फिनेले जे. ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनाम वॉटकिंस[9] , के मामले में जहां एक क्लब का सदस्य रात के खाने का ऑर्डर देता है और उसे खा लेता है, उसे कोई बिक्री नहीं होती है। इसी प्रकार आयकर आयुक्त, बिहार बनाम बांकीपुर क्लब लिमिटेड[10] , के मामले में जहां एक क्लब सदस्यों दिया गया सदस्यता शुल्क व विभिन्न सुविधाओं के लिए भुगतान की गयी अधिशेष रसीदें बनाता है, वहां भले ही ग्राहकों को उक्त प्राप्तियों का कोई सीधा लाभ नहीं होता है, पर तथ्य कि वे अंततः क्लब की सेवाओं को आगे बढ़ाने में उपयोग किए जायेगें, को क्लब के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के रूप में माना जाना चाहिए।

21. तीसरा, योगदानकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा बनाए गए एसे फंड से जिसे केवल स्वयं ही खर्च किया जा सकता है या वापस किया जा सकता है, मुनाफाखोरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लोकस क्लासिकस की घोषणा थॉमस बनाम रिचर्ड इवांस एंड कंपनी लिमिटेड [11] में स्टाइल्स केस (सुप्रा) की व्याख्या करते हुए माना कि यदि शेयरधारकों को शेयरधारकों के रूप में लाभ वितरित किया जाता है तो पारस्परिकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह अभिनिर्धारित किया किः

> "लेकिन एक कंपनी अपने सदस्यों को ग्राहक बनाकर लाभ कमा सकती है, हालांकि उसके ग्राहकों की सीमा उसके शेयरधारकों तक ही सीमित है। यदि कोई रेलवे कंपनी अपने शेयरधारकों को ले जाकर लाभ कमाती है, या यदि कोई व्यापारिक कंपनी है, तो शेयरधारकों के साथ व्यापार करके लाभ कमाती है, भले ही यह उनके साथ व्यापार करने तक ही सीमित हो। <u>यह लाभ एक तरह से शेयरधारकों का है, लेकिन यह शेयरधारकों के रूप में है। यह खरीदार या ग्राहक के रूप में उनके पास वापस नहीं आता है। यह उनके पास शेयरधारकों के रूप में उनके शेयरों पर वापस आता है।</u> जहां एक कंपनी वह एक निश्चित संख्या में लोगों से धन इकट्ठा करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कंपनी का सदस्य कहा जाता है, या भाग लेने वाले पॉलिसी धारक कहा

जाता है, और उस धन को उन्हीं लोगों के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाता है पर कंपनी में शेयरधारक के रूप में नहीं, बल्कि इसको सब्सक्राइब करने वाले लोगों के रूप में, तो, जैसा कि मैं न्यूयॉर्क मामले को समझता हूं, यह कोई लाभ नहीं है। यदि लोगों को यह काम अपने लिए करना होता, तो कोई लाभ नहीं होता, और इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने लिए ऐसा करने के लिए एक कानूनी इकाई को शामिल करते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की इकाई की उपेक्षा की जानी है बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई लाभ नहीं है, पैसा केवल उन्ही लोगों से एकत्र किया जाता है और उन्हें वापस सौंप दिया जाता है पर शेयरधारकों के चरित्र में नहीं, बल्कि उन लोगों के चरित्र में है जिन्होनें इसका भुगतान किया है। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह न्यूयॉर्क मामले में निर्णय का प्रभाव है।"

(जोर दिया गया)

22. आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम कुंभकोणम म्युचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड[12], में इस न्यायालय ने अपने समक्ष मामले के तथ्यों को स्टाइल्स मामले (सुप्रा) से अलग किया और व्यावसायिकता के कारण पारस्परिकता की छूट से इनकार कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गयाः

"हमें ऐसा लगता है कि यह मानना मुश्किल है कि स्टाइल का मामला मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू होता है। निर्धारिती कंपनी में एक शेयरधारक ऋण लेकर कंपनी के फंड में योगदान किए बिना मुनाफे में भाग लेने का हकदार है। जब तक उसके पास शेयर है तब तक वह अपना लाभांश प्राप्त करने का हकदार है। उसे कोई अन्य शर्त पूरी नहीं करनी होगी। उनकी स्थिति किसी भी तरह से शेयरों द्वारा सीमित बैंकिंग कंपनी के शेयरधारक से अलग नहीं है। वास्तव में, निर्धारिती की स्थिति एक सामान्य बैंक से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि वह अपने शेयरधारकों को पैसा उधार देता है और उनसे जमा प्राप्त करता है। यह अपने आप में इसकी आय को भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत व्यवसाय से होने वाली आय से कम नहीं बनाता है।"

23. हालाँकि, किस बिंदु पर पारस्परिकता समाप्त होती है और व्यावसायिकता शुरू होती है, यह एक कठिन तथ्यात्मक प्रश्न है। इसका सबसे अच्छा सारांश बांकीपुर क्लब (सुप्रा) में दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किएः

"...यदि निर्धारिती कंपनी जो पारस्परिक संस्था या क्लब होने का दावा करती है, का उद्देश्य एक विशिष्ट व्यवसाय

चलाना है तथा सदस्यों व गैर-सदस्यों दोनों को ही समान प्रतिफल के लिए समान रूप से निर्धारिती द्वारा चलाये जा रहे किसी या समान व्यवसाय के लिए समान सुविधाएं बिना भेदभाव के प्रदान की जाती हैं व दोनों से ही पैसा प्राप्त किया जाता है तो यह "समग्र संव्यवहार" कंपनी का लाभ कमाने का उद्देश्य प्रकट करता है तथा समान रूप से व्यावसायिकता से दूषित होता है। दूसरे शब्दों में पारस्परिक संस्था या क्लब होने का दावा करने वाली निर्धारिती संस्था द्वारा की जा रही गतिविधियां व्यवसाय या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियां हैं तथा सदस्यों व गैर-सदस्यों के साथ किये गये संव्यवहार व्यावसायिक व वाणिज्यिक संव्यवहार हैं एवं परिणामी अधिशेष निश्चित तौर पर कर योग्य लाभ/आय है। हमें यह भी बताना चाहिए कि ''किस बिंदु पर, पारस्परिकता का संबंध समाप्त होता है और व्यापार का संबंध शुरू होता है' एक कठिन और पेचीदा सवाल हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई कारकों पर विचार करना पड़ सकता है। ''चाहे व्यक्ति एक-दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हों या नहीं, वे एक'' ''

व्यापारिक गतिविधि या व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक कार्य कर रहे हैं , काफी हद तक तथ्य का प्रश्न है; विलकॉक

केस-9 टैक्स केसेज 111, (पृष्ठ 132); सीए (1925) (1) केबी 30 पृष्ठ 44 और 45 पर)।''

24. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने इसी तरह की टिप्पणियाँ कीं और कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक कानूनी इकाई अपने सदस्यों से लाभ नहीं कमा सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गयाः

> ''14...यह सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति खुद से लाभ नहीं कमा सकताए काफी हद तक सत्य है, लेकिन इसे लागू करने पर आसानी से भ्रम पैदा हो सकता है। किसी कंपनी को अपने ही सदस्यों से लाभ कमाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार एक रेलवे कंपनी जो यात्रियों को ले जाने से लाभ कमाती है, वह अपने शेयरधारकों को ले जाने से भी लाभ कमा सकती है या एक व्यापारिक कंपनी अपने सदस्यों के साथ व्यापार से लाभ कमा सकती है परंतु इसके अलावा वह आम जनता से लाभ कमाती है जो उसके साथ व्यवहार करती है लेकिन वह लाभ यह शेयरधारकों के रूप में सदस्यों का है और उन व्यक्तियों के रूप में उनके पास वापस नहीं आता है जिन्होंने उन्हें योगदान दिया था।

जहां कोई कंपनी अपने सदस्यों से धन एकत्र करती है और इसे शेयरधारकों के रूप में नहीं बल्कि फंड लगाने वाले व्यक्तियों के रूप में उनके लाभ के लिए उपयोग करती है तो कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे मामलों में जहां योगदान करने वालों और अधिशेष में भाग लेने वालों के चरित्र में पहचान होती है, निगमन का तथ्य महत्वहीन हो सकता है। और निगमित कंपनी को, उस कार्य को जिसे सदस्य भी स्वयं के लिए अधिक परिश्रम पूर्वक कर सकते हैं, करने हेतु केवल एक साधन या कार्य करने के लिए एक सुविधाजनक एजेंट माना जा सकता है। <u>लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जो निगमन अपने घटक सदस्यों से अलग एक कानूनी इकाई अस्तित्व में लाता है, उसकी हमेशा उपेक्षा की जानी चाहिए और कानूनी इकाई कभी भी अपने सदस्यों से लाभ नहीं कमा सकती है...''</u>

(जोर दिया गया)

25. यह हमें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्धारिती एक एओपी है। सभी संबंधित बैंक, क्लब के कॉर्पोरेट सदस्य हैं। गैर-सदस्य बैंकों में रखी गई सावधि जमाओं से अर्जित ब्याज को कराधान के लिए पेश किया गया और देय कर का भुगतान किया गया। इसलिए, हमें ऊपर बताई गई तीन संचयी स्थितियों की कसौटी

पर, सदस्य बैंकों के साथ सावधि जमा पर अर्जित ब्याज के संबंध में निर्धारिती के मामले की जांच करने की आवश्यकता है।

26. सबसे पहले, व्यवस्था में योगदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच पूर्ण पहचान का अभाव है। अधिशेष निधियों के सृजन के चरण तक, सेटअप पारस्परिकता जैसा था। धन का प्रवाह, इधर-उधर, बैंकों और क्लब द्वारा बनाए गए बंद सर्किट के भीतर बनाए रखा गया था, और इस हद तक, कोई भी व्यक्ति जो इस पारस्परिकता से अवगत नहीं था, उसे इस व्यवस्था से लाभ नहीं हुआ। हालाँकि, जैसे ही इन निधियों को बैंकों के पास सावधि जमा में रखा गया, बैंकों व क्लब के मध्य निधियों का बंद प्रवाह वाणिज्यिक बैंकिंग परिचालन के संपर्क के कारण विक्षेपित हो गया। अपने बैंकिंग व्यवसाय के दौरान, सदस्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए ऐसी जमा राशि का उपयोग किया। इसलिए, वर्तमान मामले में, पारस्परिकता के फंड के साथ, सदस्य बैंक पारस्परिकता के बाहर तीसरे पक्ष के साथ वाणिज्यिक परिचालन में लगे हुए हैं, जिससे ''पारस्परिकता की गोपनीयत' भंग हो रही है, और परिणामस्वरूप, अंशदानकर्ताओं और प्रतिभागियों के बीच एक से एक पहचान का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि पहली शर्त द्वारा अनिवार्य है। इस प्रकार, हमारे सामने मौजूद मामले में पारस्परिकता के दावे की पहली शर्त पूरी नहीं हुई है।

27. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, दूसरी शर्त यह मांग करती है कि पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर से छूट का दावा करने के लिए, अतिरिक्त

धन का उपयोग क्लब के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, जो यहां मामला नहीं है। वर्तमान मामले में, अधिशेष निधि का उपयोग किसी विशिष्ट सेवा, बुनियादी ढांचे, रख-रखाव या किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ के लिए क्लब के सदस्यों के लिए नहीं किया गया था। इन्हें पारस्परिकता से बाहर कर दिया गया जब सदस्य बैंकों ने इन्हें तीसरे पक्ष के नियंत्रण व निस्तारण में डाल दिया। इस प्रकार, बैंक और बैंक के ग्राहकों के बीच एक (तीसरा पक्ष, जो पारस्परिकता के लिए निजी नहीं था) एक स्वतंत्र अनुबंध शुरू हुआ, इस अनुबंध में क्लब और उसके सदस्य के बीच निकटता की कमी थी, जिससे क्लब को दूर और अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ हो सकता है, फिर भी, इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्लब की गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि दुसरी शर्त क्लब की गतिविधियों हेतु प्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रत्यक्ष कदम लेना है। तर्क के लिए, कोई व्यक्ति किसी क्लब के कामकाज में सबसे बेशर्म व्यावसायिक गतिविधियों से दूर का संबंध जोड़ सकता है। हालाँकि, दूसरी शर्त का आशय ऐसा नहीं है। इसलिए, इसका उल्लंघन हुआ है।

28. मौजूदा तथ्य पारस्परिकता सिद्धांत की तीसरी शर्त को पूरा करने में भी विफल हैं, यानी यह असंभवता कि योगदानकर्ताओं को एक फंड जिसे केवल खर्च किया जा सकता है या स्वयं को वापस किया जा सकता है, में किए गए योगदान से लाभ प्राप्त करना चाहिए। इस सिद्धांत की

आवश्यकता है कि धनराशि योगदानकर्ताओं को वापस की जानी चाहिए और साथ ही इसे केवल योगदानकर्ताओं पर ही खर्च किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि वर्तमान मामले में, धनराशि क्लब में वापस आ जाती है। हालांकि, उससे पहले इन्हें बैंक के गैर-सदस्यों यानी ग्राहकों पर खर्च किया जाता है। बैंक, क्लब-निर्धारिती को, जो उसके पास फंड जमा करता है, कम ब्याज दर का भुगतान करके राजस्व उत्पन्न करती है और फिर जमा राशि को तीसरे पक्ष को उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है। हमारी राय में, व्यावसायिक कारणों से बैंकों द्वारा क्लब के फंड से बाहरी लोगों को ऋण देना, पारस्परिकता की कड़ी को तोड़ देता है और इस प्रकार तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है।

29. रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि बैंकों ने क्लब से आए फंड के लिए अलग और विशेष प्रावधान किए हों, या कि उन्होंने उन्हें ऋण नहीं दिया हो। इसलिए, स्पष्ट रूप से, क्लब ने वह व्यवहार/सलूक नहीं दिया, या प्राप्त किया जो एक क्लब को अपने सदस्यों से मिलता है। उनके बीच की बातचीत स्पष्ट रूप से एक बैंक और उसके ग्राहक के बीच की बातचीत को दर्शाती है। यह सीधे तौर पर तीसरी शर्त का उल्लंघन करता है जैसा कि स्टाइल्स और कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड मामलों (सुप्रा) में स्पष्ट किया गया है। हमारी राय में, रोलेट सही उद्धृत करते हैं कि यदि शेयरधारकों को शेयरधारकों के रूप में लाभ वितरित किया जाता है, तो पारस्परिकता का सिद्धांत संतुष्ट नहीं

होता है। थॉमस बनाम रिचर्ड इवांस एंड कंपनी (सुप्रा), में पृष्ठ 822-823 पर, उन्होंने अभिनिर्धारित कियाः

> ‘‘लेकिन एक कंपनी अपने सदस्यों को ग्राहक बनाकर लाभ कमा सकती है, हालांकि उसके ग्राहकों की सीमा उसके शेयरधारकों तक ही सीमित है। यदि कोई रेलवे कंपनी अपने शेयरधारकों को लेकर लाभ कमाती है, या यदि कोई व्यापारिक कंपनी है, तो शेयरधारकों के साथ व्यापार करके - भले ही यह उनके साथ व्यापार करने तक ही सीमित हो - लाभ कमाती है, यह लाभ एक तरह से शेयरधारकों का है, लेकिन यह शेयरधारकों के लिए उनका है। यह खरीदार या ग्राहक के रूप में उनके पास वापस नहीं आता है। यह उनके पास वापस आता है शेयरधारक के रूप में उनके शेयरों पर। जहां एक कंपनी एक निश्चित संख्या में लोगों से मात्र धन इकट्ठा करती है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कंपनी का सदस्य कहा जाता है, या भाग लेने वाले पॉलिसी धारक कहा जाता है - और इसे उन्हीं लोगों के लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, पर कंपनी में शेयरधारक के रूप में नहीं, बल्कि इसकी सदस्यता लेने वाले लोगों के रूप में तो जैसा कि मैं न्यूयॉर्क मामले को समझता हूं यह कोई लाभ नहीं है। यदि लोगों को यह काम अपने लिए करना

होता, तो कोई लाभ नहीं होता और इस तथ्य से कि वे अपने लिए ऐसा करने के लिए एक कानूनी इकाई को शामिल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी की इकाई की उपेक्षा की जानी है बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई लाभ नहीं है। पैसा केवल उन्हीं लोगों से एकत्र किया गया है और उन्हें ही वापस सौंप दिया गया है पर शेयरधारकों के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में जिन्होंने इसे प्रदत्त किया है। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह न्यूयॉर्क मामले में निर्णय का प्रभाव है।''

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में, ब्याज क्लब द्वारा जमा किए गए अधिशेष पर अर्जित होता है जैसे कि बैंक में खाताधारक द्वारा की गई किसी अन्य जमा राशि पर होता है।

30. कुंभकोणम म्युचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड मामले (सुप्रा) में भी लगभग ऐसा ही मुद्दा उठा। उस मामले में तथ्य यह थे कि निर्धारिती, अर्थात् कुंभकोणम म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड, शेयरों द्वारा सीमित एक निगमित कंपनी थी। 1938 से, निर्धारिती की सांकेतिक पूंजी 33,00,000/- रुपये थी जो 1/- रुपये के शेयरों में विभाजित थी। निर्धारिती अपने

शेयरधारकों तक ही सीमित बैंकिंग व्यवसाय चलाता था, अर्थात शेयरधारक इसकी विभिन्न आवर्ती जमा योजनाओं में भाग लेने या सुरक्षा पर ऋण प्राप्त करने के हकदार थे। सदस्यों से निश्चित राशि के लिए आवर्ती जमा प्राप्त की जाती थी, जिस हेतु उनके द्वारा मासिक रूप से निश्चित संख्या में महीनों के लिए योगदान दिया जाता था, जिसके अंत में प्रकाशित तालिकाओं के अनुसार एक निश्चित राशि उन्हें वापस कर दी जाती थी। इस प्रकार लौटाई गई राशि, अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज को कवर करती है। ये आवर्ती जमा अग्रिम ऋण के लिए निर्धारिती के धन का मुख्य स्रोत थे। हालांकि ऐसे ऋण केवल उन सदस्यों तक ही सीमित थे, जिन्हें, उनके आवर्ती जमा के भुगतान किए गए मूल्य (यदि कोई हो) या किसी विशेष जिले के भीतर अचल संपत्तियों के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा की पेशकश करनी थी। निर्धारिती द्वारा ऋणों पर प्राप्त ब्याज में से, जो उसकी मुख्य आय थी, उपरोक्त आवर्ती जमा पर ब्याज का भुगतान किया गया था। साथ ही अन्य नियमित खर्चों व प्रबंधन के अन्य सभी खर्चों का भी भुगतान किया गया था। और शेष राशि सदस्यों के बीच आरक्षित निधि आदि का प्रावधान मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के अनुसार करने के बाद उनके हिस्से के अनुसार आनुपातिक रूप से विभाजित की गई थी। शेयरधारक जो लाभ में भाग लेने के हकदार थे, उनके लिए ऋण लेना या आवर्ती जमा करना आवश्यक नहीं था।

31. इन तथ्यों पर, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न्यायालय ने स्टाइल्स केस (सुप्रा) को अलग किया और राय दी कि निर्धारिती की स्थिति एक सामान्य बैंक से अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि उसने पैसे उधार दिए और अपने शेयरधारकों से जमा प्राप्त किए। पर इससे उसकी आय अपने आप में व्यवसाय से होने वाली आय से कम नहीं हो जाती। हमारी राय में, उक्त निर्णय का औचित्य मौजूदा तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होता है। यहां तक कि सदस्य बैंकों से भी उनके पास जमा अधिशेष निधि पर निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज में व्यावसायिकता का दाग था, जो पारस्परिकता के सिद्धांत के लिए घातक था।

32. हम यह जोड़ सकते हैं कि निर्धारिती, बैंक में जमा होने से पहले ही, अपने सदस्यों द्वारा योगदान या प्राप्त कुछ सुविधाओं के लिए मूल्य के रूप में प्राप्त अधिशेष राशि के संबंध में पारस्परिकता के सिद्धांत का लाभ उठा रहा है। इस अधिशेष राशि को आय नहीं माना गया क्योंकि यह क्लब के पास छोड़े गए संग्रह का अवशेष था। कर की देनदारी से बचने के लिए किसी क्लब का मुखौटा वाणिज्यिक लेनदेन पर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं को पारस्परिकता के दोहरे लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा मानना है कि वर्तमान मामला उस बात का स्पष्ट उदाहरण है जिसके खिलाफ इस न्यायालय ने बांकीपुर क्लब (सुप्रा) में चेतावनी दी थी, जब उसने कहा थाः

''...यदि निर्धारिती कंपनी जो पारस्परिक संस्था या क्लब होने का दावा करती है, का उद्देश्य एक विशिष्ट व्यवसाय चलाना है तथा सदस्यों व गैर-सदस्यों दोनों को ही समान प्रतिफल के लिए समान रूप से निर्धारिती द्वारा चलाये जा रहे किसी या समान व्यवसाय के लिए समान सुविधाएं बिना भेदभाव के प्रदान की जाती हैं व दोनों से ही पैसा प्राप्त किया जाता है तो यह "समग्र संव्यवहार" कंपनी का लाभ कमाने का उद्देश्य प्रकट करता है तथा समान रूप से व्यावसायिकता से दूषित होता है। दूसरे शब्दों में पारस्परिक संस्था या क्लब होने का दावा करने वाली निर्धारिती संस्था द्वारा की जा रही गतिविधियां व्यवसाय या व्यवसाय की प्रकृति की गतिविधियां हैं तथा सदस्यों व गैर-सदस्यों के साथ किये गये संव्यवहार व्यावसायिक व वाणिज्यिक संव्यवहार हैं एवं परिणामी अधिशेष निश्चित तौर पर कर योग्य लाभ/आय है। हमें यह भी बताना चाहिए कि ''किस बिंदु पर, पारस्परिकता का संबंध समाप्त होता है और व्यापार का संबंध शुरू होता है' एक कठिन और पेचीदा सवाल हैं। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई कारकों पर विचार करना पड़ सकता है। ''चाहे व्यक्ति एक-दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हों या नहीं, वे एक'' ''

व्यापारिक गतिविधि या व्यापार की प्रकृति में एक साहसिक कार्य कर रहे हैं , काफी हद तक यह तथ्य का प्रश्न है विलकॉक केस-9 टैक्स केसेज 111, (पृष्ठ 132); सीए (1925) (1) केबी 30 पृष्ठ 44 और 45 पर)।''

(जोर दिया गया)

33. हमारी राय में, उपरोक्त अधिशेष राशि के विपरीत, जो पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत कर से मुक्त है, उपर्युक्त चार बैंकों से निर्धारिती द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पारस्परिकता सिद्धांत के दायरे में नहीं आएगी और इसलिए उक्त राशि आयकर योग्य होगी।

34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, ये अपीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं और इस प्रकार, खारिज किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, हम सभी अपीलें हर्जे के साथ खारिज करते हैं।

आर.पी.

अपीलें खारिज की गयीं

1. AIR 1948 PC 142 (E)
2. (2000) 3 SCC 214
3. (1889) 2 TC 460

4. (1926) 12 T.C.841 (H.L.)

5. (1918) 24 CLR 334

6. AIR 1954 SC 85

7. (1932) 16 TC 430, 448 (HL):CIT V. FIROZEPUR ICE Manufacturers' Association 84 ITR 607.

8. 1927 AC 827

9. (1934) 18 TC 499:503, 506

10. (1997) 5 SCC 394

11. (1927) 11 TC 790

12. AIR 1965 SC 96

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी आरती भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****